रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935

No. 1682] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ASHADHA 27, 1935

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2013

का.आ. 2187(अ).—जबकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कारी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कथित उप धारा के तहत दिनांक 30-05-2013 को फाइल संख्या-673/05/2013-कस्टम VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री किशोर सिंधी उर्फ किशोर कुमार उर्फ किशोर, निवासी 468/33, संजय भवन, पाल बीचला रोड, अंधेरी पुलिया, समीप वीर बालिका स्कूल, अजमेर-305001 को केन्द्रीय कारागार, जयपुर में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके ।

3. अत: अब कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर के सामने उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/05/2013-कस्टम VIII]

संदीप एम. भटनागर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Economic Intelligence Bureau)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2013

S.O. 2187(E).— Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/05/2013-Cus.VIII, dated 30.05.2013 under the said sub-section directing that Shri Kishor Sindhi @ Kishor Kumar @ Kishor, resident of 468/33, Sanjay Bhawan, Pal Beechla Road, Andheri Pulia, Near Veer Balika School, Ajmer-05001, be detained and kept in custody in the Central Jail, Jaipur with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Govt. of Rajasthan, Jaipur within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/05/2013-Cus. VIII]

SANDEEP M. BHATNAGAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2013

का.आ. 2188(अ).—जबकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कारी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)की धारा 3की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कथित उप धारा के तहत दिनांक 30-05-2013 को फाइल संख्या-673/06/2013-कस्टम VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री लक्ष्मण सिंधी उर्फ लक्ष्मण लखानी, निवासी 468/33, संजय भवन, पाल बीचला रोड, अंधेरी पुलिया, समीप वीर बालिका स्कूल, अजमेर-305001 को केन्द्रीय कारागार, जयपुर में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके ।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके ।

3. अत: अब कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर के सामने उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/06/2013-कस्टम VIII]

संदीप एम. भटनागर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2013

S.O. 2188(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowere dunder sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F.No.673/06/2013-Cus.VIII, dated 30-05-2013 under the said sub-section directing that Shri Lakshman Sindhi @ Lakshman Lakhani, resident of 468/33, Sanjay Bhawan, Pal Beechla Road, Andheri Pulia, Near Veer Balika School, Ajmer-305001, be detained and kept in custody in the Central Jail, Jaipur with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Govt. of Rajasthan, Jaipur within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/06/2013-Cus. VIII]

SANDEEP M. BHATNAGAR, Jt. Secy.

India Code

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.